



कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख शाखा जिला-रायगढ़(छ.ग.)

क्रमांक 11395 /स.अ.भू.अ./ 2020
प्रति,

रायगढ़ दिनांक 16/11/2020

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल रायगढ़
जिला-रायगढ़(छ.ग.)

विषय :- वनभूमि व्यपवर्तन के लिये वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय करने के संबंध में।
संदर्भ :- मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना) एनटीपीसी तलाईपाली रायगढ़ का पत्र क्रमांक 1071/टीएलसीएमपी/एमआईएन/2020/एफ-26/281 दिनांक 22.09.2020।

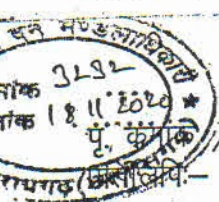
—00—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। मुख्य महाप्रबंधक एनटीपीसी तलाईपाली कोयला खनन परियोजना द्वारा कोयला परिवहन हेतु औराईमुड़ा से डोरम होते हुए टेरम सड़क चौड़ीकरण/पक्कीकरण का कार्य कराया जा रहा है, उक्त रोड़ वर्तमान में कोयला परिवहन हेतु घरघोड़ा रिहायशी क्षेत्र से गुजरने वाले उपयोगनार्थ मार्ग को बाईपास करेगी। सड़क चौड़ीकरण के कार्य के लिये रकबा 1.732 हे० राजस्व वनभूमि की आवश्यकता है। जिसके लिये वनभूमि के लिये व्यपवर्तन का प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत प्रक्रियाधीन है। वन संरक्षण अधिनियम के तहत व्यपवर्तन के लिये आवश्यक भूमि के दुगुने क्षेत्रफल के वैकल्पिक वृक्षारोपण कराया जाना होता है। जिस हेतु ग्राम पुसल्दा तहसील घरघोड़ा अंतर्गत की भूमि खसरा नं. 190 कुल रकबा 25.340 हे० है जिसमें से व्यपवर्तन प्रस्ताव हेतु रकबा 3.464 हे० भूमि का चयन किया गया है। उक्त प्रस्तावित भूमि पुसल्दा नारंगी वनखण्ड बैगाबहरी के अंतर्गत है।

उपरोक्तानुसार अनुविभागीय अधिकारी(रा.) घरघोड़ा एवं वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल रायगढ़ से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना) एनटीपीसी तलाईपाली रायगढ़ को.मा.प्रो. रायगढ़ को कोल माईनिंग परियोजना के सड़क चौड़ीकरण/पक्कीकरण में प्रभावित क्षेत्र रकबा 1.732 हे० का दुगुना के मान से 3.464 हे० का उपरोक्तानुसार वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वनभूमि व्यपवर्तन के लिये क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने की अनुशंसा की गई है।

अतः अनुविभागीय अधिकारी(रा.) घरघोड़ा एवं वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल रायगढ़ से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रश्नाधीन भू-खण्ड नारंगी वनक्षेत्र मद की भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपयोग करने की अनुमति यदि सक्षम विभाग द्वारा प्रदान की जाती है तो इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।

उपरोक्तानुसार अनापत्ति भेजने का तात्पर्य यह कदापि नहीं माना जावेगा की उपर्युक्त भूमि आवेदक संस्थान को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया जा चुका है।



कलेक्टर

रायगढ़ (छ.ग.)

रायगढ़ दिनांक 16/11/2020

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध-व.स.अ.) अरण्य भवन मेडिकल कॉलेज रोड रायपुर-छ.ग. को सूचनार्थ।

✓ 2. मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना) एनटीपीसी तलाईपाली रायगढ़ को सूचनार्थ।

कलेक्टर

रायगढ़ (छ.ग.)